

IN THE COURT OF C.J.M BHOJPUR AT ARA
Cri. Misc.-81/2024

विकास राम बनाम बिहार सरकार

18.07.2025

अभिलेख आज प्रस्तुत हुआ। वाद पुकारा गया। परिवादी अनुपस्थित है। वाद बार बार पुकारने के पश्चात भी न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुआ। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि परिवादी कई तिथियों से अनुपस्थित है। परिवादी को इस वाद में कोई रुचि नहीं है।

अतः परिवाद पत्र को धारा 226 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है तथा वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

कार्यालय इस वाद को अभिलेखागार में संसीमित करें।

लेखापित


मु0न्या0दण्डाधिकारी
भोजपुर (आरा)